जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 08-09-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

दहेज प्रताड़ना व मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 614 / 2019 धारा 498(ए) / 323 / 306 भादवि व ¾ दहेज अधिनियम में वांछित अभियुक्त अनूप पाण्डेय पुत्र तारकेश्वर पाण्डेय निवासी निकट अष्टभुजा मंदिर गोलाबाजार जनपद गोरखुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय रवाना किया गया

विदित हो अभियुक्त के द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करना मारपीट के साथ साथ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिस पर आज दिनांक को थाना धनघटा पुलिस के उपनिरीक्षक श्री सुग्रीव प्रसाद मय हमराह द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 226/20 धारा 457 / 380 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता खुर्शीद अहमद पुत्र केतरी उर्फ कटारी निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.08.2020 को वादी के घर को ताला तोड़कर 15000 रुपये व जेवरात आदि चोरी कर लिया गया था उक्त के क्रम में वादी महापाल पुत्र राजाराम निवासी बौद्ध विहार अंबेड़करनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.08.2020 को लिखित तहरीर देकर थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिस पर आज दुधारा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा गोलू मद्देशिया पुत्र स्व0 ओमप्रकाश मद्देशिया निवासी हरदी हट्टा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 क्रमशः 252/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 56 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 20 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- रामलाल पुत्र जग्गीराम निवासी जंगल बेलहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2- जीतू उर्फ जीतलाल पुत्र हरिराम केवट निवासी आमडाड थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 20 लीटर अवैध अमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने वाले उपकरण (भट्टी, तसला) व 01 किग्रा0 नौसादर, 05 किग्रा0 यूरिया लहन के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 172 / 2020 धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- सुनील कुमार पुत्र जीतन 2- सुदामा पुत्र मुल्लन निवासीगण भटपुरवा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 10-10 लीटर कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 340 / 2020 व 341 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता प्रेंम चंद पुत्र स्व0 हरिनाथ निवासी परसा छकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 16 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 268 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1493 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया अस्पताल</u>– पीआरवी <u>1493</u> को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 01576 से कालर मंजीत नें मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को जरिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर सूचित किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 बृजभूषण यादव, आरक्षी दिनेश यादव, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 70 वाहनो से 62000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 70 वाहनो से 62000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।